

दुर्घटना के दर्ज प्रकरण

थाना हाथीपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी गिरीश पिता दिनेश पालीवाल नि. खमनोर ने अभियुक्त डॉ. कमलेश पंजाबी एवं अन्य के विरुद्ध प्रार्थी की पत्नी के डीलेवरी के समय लापरवाही से ईलाज करना जिससे प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु होने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 177/11 धारा 304ए भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना हाथीपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी आशीफ पिता ईकबाल हुसैन बोहरा नि. खारोल कॉलोनी ने कार आर. जे-27-सी-5223 के चालक के विरुद्ध कार को तेजगति लापरवाही से चलाकर प्रार्थी को टक्कर मारकर चोटें पहुंचाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 179/11 धारा 279,337 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

मारपीट के दर्ज प्रकरण

थाना सुरजपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती रजीया पत्नी कमरुद्दीन नि. गोसीया कॉलोनी ने अभियुक्त मोहसीन पिता कमरुद्दीन नि. गोसीया कॉलोनी के विरुद्ध प्रार्थीया को जान से मारने की नियत से प्रार्थीया के उपर गरम दुध डाल देने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 377/11 धारा 307 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना हाथीपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी गजेन्द्र पिता पन्नालाल चौधरी नि. आर्दशनगर ने अभियुक्त डी.एन. महेश्वरी हॉल देवस्थान विभाग उदयपुर वगेरा 5 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थी को कमरे में बन्धक बनाकर प्रार्थी के साथ मारपीट करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 178/11 धारा 143,323,342 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना खेरवाडा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी बददा पिता रूपा मीणा नि. रामा बावडी ने अभियुक्त हाजा पिता धुला मीणा नि. रामा बावडी वगेरा 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध हमसलाह प्रार्थी के खेत में जबरन प्रवेश हो फसल नष्ट करने व लकड़ी चुरा कर ले जाने व मना करने पर गाली-गलौच करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 259/11 धारा 147,447,379,427,149,504 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सलूमबर में दिनांक 8.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती लीला पत्नी मोतीलाल शर्मा नि. सलूमबर ने अभियुक्त नारीया पिता शंकर नट नि. ईडाणा वगेरा 5 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थी के मकान में जबरन प्रवेश हो प्रार्थीया की स्त्री लज्जा भंग करने व डरा धमका कर जेवरात छीन कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 297/11 धारा 143,452,354,384,149 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

चोरी के दर्ज प्रकरण

थाना फलासीया में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी हरिराज सिंह पिता देवीसिंह हाल हेल्पर आरएसईबी झाडोल ने अज्ञात मुल्जिमों के विरुद्ध विधुत ट्रान्सफार्मर से ऑयल व कोपर वायर चुराकर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 115/11 धारा 136,139 विधुत अधिनियम में दर्ज किया गया।

थाना सुखेर में दिनांक 8.9.2011 को प्रार्थी हितेश पिता उदयलाल माली नि. रावजी का हाटा ने अज्ञात मुल्जिमों के विरुद्ध प्रार्थी की मोटर साईकिल चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 266/11 धारा 379 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

दहेज प्रताडना के दर्ज प्रकरण

थाना कानोड में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती मनोहर देवी पुत्री तुलसीराम प्रजापत नि. कानोड ने अपने ति रमेश पिता भैरूलाल प्रजापत नि. मावली वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 80/11 धारा 498ए भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना सलूमबर में दिनांक 8.9.2011 को प्रार्थी ओनारसिंह पिता पहाडसिंह राजपुत नि. जावद ने अभियुक्त प्रतापसिंह पिता मानसिंह नि. डाल सलूमबर के विरुद्ध प्रार्थी की पुत्री भुरी कुँवर को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित कर उसकी हत्या करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 296/11 धारा 498ए,304बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

भ्रूण हत्या के दर्ज प्रकरण

थाना झाडोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी नारायण लाल पिता रामा मेघवाल नि. सगपुरा ने अज्ञात महिला के विरुद्ध अपने नवजात शिशु के जन्म को छुपाने की नियत से शिशु को सुनसान जगह छोडकर चले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 157/11 धारा 318 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

अपहरण के दर्ज प्रकरण

थाना झल्लारा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी कचरूलाल पिता अमरा मीणा नि. सुहावतों का गुडा ने अभियुक्त कालुलाल पिता केवा मीणा नि. तुलसी का नामला के विरुद्ध प्रार्थी की पुत्री को शादी करने की नितय से बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 154/11 धारा 363,366 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

आर्म्स एक्ट के दर्ज प्रकरण

थाना सायरा में दिनांक 7.9.2011 को अभियुक्त नरसा पिता लाला गरासीया नि. पाबा को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर नंगी छुरी अपने कब्जे में लेकर घुमने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 152/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।

थाना सलूम्वर में दिनांक 8.9.2011 को अभियुक्त गेबा पिता देवा मीणा नि. गावडापाल को अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर नंगी छुरी अपने कब्जे में लेकर घुमने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 299/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।

धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरण

थाना सुरजपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी उमेश पिता बंशीलाल हरिजन नि. नाडाखाडा ने अभियुक्त सुन्दरलाल पिता अम्बालाल साहु नि. खटीकवाडा के विरुद्ध अभियुक्त का बैंक में खाता बन्द होने के बावजूद प्रार्थी को फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 376/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना अम्बामाता में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी चम्पालाल पिता अम्बालाल प्रजापत नि. लोयरा ने अभियुक्त भंवरलाल पिता धनराज गमेती नि. छाली गोगुन्दा वगेरा 4 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करने व धमकी देकर प्रार्थी की सम्पत्ती हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 375/11 धारा 420,406,384 भा. द.स. में दर्ज किया गया।

थाना हाथीपोल में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी हरिराम पिता केसाराम संत नि. सोभागपुरा ने अभियुक्त अजय सिंह गहलोत नि. सेक्टर नम्बर 14 के विरुद्ध प्रार्थी को लोन दिलाने के नाम पर रूपये हडप कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 176/11 धारा 420,406,120बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना फतहनगर में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी हीरालाल पिता देवा जाट नि. चंगेडी ने अभियुक्त प्रमोद कुमार पिता राजेन्द्र कुमार नि. भुपालसागर आकोला के विरुद्ध प्रार्थी को धोखे में रखकर प्रार्थी की कार आर.जे-03-यु.ए-130 को हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 133/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना खैरोदा में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी मांगीलाल पिता चुना भील नि. खैरोदा ने अभियुक्त चम्पालाल पिता हक्का भील नि. खैरोदा वगेरा 7 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थी को जमीन बेचने के नाम पर प्रार्थी से रूपये लेकर बाद में जमीन किसी अन्य को बेचकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 176/11 धारा 420,467,468,471,474,120बी भा.द.स. में दर्ज किया गया।

थाना मावली में दिनांक 7.9.2011 को प्रार्थी मांगीलाल पिता भैरा भील नि. फतहपुरा मावली ने अभियुक्त प्रेमसिंह पिता भोपालसिंह नि. भीमल वगेरा 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रार्थी को जमीन पर लोन दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी की जमीन की रजिस्ट्री कराकर जमीन हडपने की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 169/11 धारा 420,406 भा.द.स. में दर्ज किया गया।

अप्राकृतिक मृत्यु के दर्ज प्रकरण

थाना अम्बामाता में दिनांक 8.9.2011 को प्रार्थीया श्रीमती उषा पत्नी रमेश मकवाना नि. सज्जन नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतक किशोर पिता ललीत नारायण धाकडा नि. सज्जन नगर की बिमारी से अचानक अकाल मृत्यु होने की रिपोर्ट पर मर्ग नम्बर 32/11 धारा 174 जा.फौ में दर्ज किया गया।

थाना खेरवाडा में दिनांक 8.9.2011 को प्रार्थी धुलचन्द पिता कुबेर कलाल नि. बन्जारीया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतक विनोद पिता धुलचन्द बन्जारीया द्वारा घर पर कार्य करते समय अचानक दिवार ढह जाने से नीचे दबने से विनोद की मृत्यु होने व पत्नी मिनाक्षी के घायल होने की रिपोर्ट पर मर्ग नम्बर 14/11 धारा 174 जा.फौ में दर्ज किया गया।

107,116 (3) 151 CRPC में गिरफ्तार

जिले के निम्न थानो में धारा 151 में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना सुरजपोल— इन्द्रलाल पिता रूपलाल मेघवाल नि. खटीकवाडा।

थाना भुपालपुरा— दुर्गाशंकर पिता मोडीराम प्रजापत नि. सेवाश्रम , आबीद पिता छोटू खान नि. मल्लातलाई , तरुण पिता जसवंत सिंधी नि. शक्तिनगर।

थाना ओगणा— सोहन पिता टेकचन्द खटीक नि. ओगणा।

थाना सलूम्वर— धुला पिता वाला मीणा नि. बस्सी।

थाना ऋषभदेव— पवन कुमार पिता नारायण तेली नि. ऋषभदेव।

थाना खेरवाडा— लक्ष्मण पिता कुबेरा मीणा नि. लराठी।

प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना प्रतापनगर में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त देवीलाल पिता बिहारीलाल बंजारा नि. लक्ष्मीपुरा रेलमगरा , जगलाल पिता हरलाल बंजारा , बालु पिता भगा बंजारा , छोगा पिता उदा बंजारा नि. मेन्दुरीया रेलमगरा को प्रकरण संख्या 333/11 धारा 457,380 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना हिरणमगरी में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त कैलाश पिता शांतिलाल जैन नि. पारसोली चित्तौड़गढ़ को प्रकरण संख्या 395/11 धारा 302 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना सुखेर में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त प्रेमशंकर पिता गोवर्धन दास वैष्णव नि. भटीयानी चौहट्टा , धर्मेन्द्र पिता कैलाश चन्द्र साहु नि. सुरजपोल को प्रकरण संख्या 264/11 धारा 379 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना सलूमबर में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त भैरा पिता रता मीणा नि. बरा को प्रकरण संख्या 268/11 धारा 379 भा.द.स. में गिरफ्तार किया गया।

थाना नाई में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त राजेश सिंह पिता भगवत सिंह , प्रकाश पिता नन्दलाल ओड , उदयलाल पिता भैरूलाल ओड , चन्द सिंह पिता अमरसिंह नि. सज्जनगर कच्चीबस्ती को प्रकरण संख्या 165/11 धारा 379 भा. द.स. में गिरफ्तार किया गया।

वारंट में गिरफ्तार अभियुक्त

थाना सराडा में दिनांक 7.9.11 को अभियुक्त बाबुलाल पिता भीमा मीणा नि. बलुवा को स्थाई वारंट 212/05 में गिरफ्तार किया गया।